भारत की न्यायिक विवरण- 2020









पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर राज्यों की रैंकिंग

राष्ट्रीय तथ्य पत्रक



सर्वप्रथम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के प्रकाशन के अवसर पर मैं टाटा ट्रस्ट्स और उनके सभी साझेदारों तथा सहयोगियों को बधाई देना चाहूँगा। यह एक अनोखा रिपोर्ट है जो पहली बार भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में भिन्न और अब तक अस्पष्ट जानकारी को स्पष्टता सिहत हमारे समक्ष लाया है। यह सराहनीय कार्य है और मुझे विश्वास है कि इससे हम बेहतर रूप से हमारी न्याय व्यवस्था, उसके उत्तरदायित्व और हमारे समाज तथा अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को समझ पाएंगे। मैं इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि टाटा ट्रस्ट्स तथा नीति आयोग मिलकर इस विषय के बारे में और जानकारी प्रदान करेंगे

डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग

इस रिपोर्ट का सराहनीय उद्देश्य व्यवस्था में साझेदारों का ध्यान दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों की ओर आकर्षित करना है - न्याय तक पहुंच और हमारी उन संस्थाओं का हाल जो न्याय प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। हमारी सांस्कृतिक महत्वकांक्षाओं का पूरा होना उन क़ानूनों पर निर्भर करता है जो संवैधानिक प्रावधानों को और इस देश के कानून के अनुसार चलने वाले नागरिकों के जोश को मायने प्रदान करते हैं। देश के नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क़ानूनों का कड़ा होना ही काफ़ी नहीं। सामूहिक मानव अनुभव दर्शाता है कि मूलभूत रूप से हर तरह की ताकत का झुकाव अधिकता की ओर होता है और इसलिए, समावेशी समाज की अनुपस्थिति से और केवल बहुमत प्रजातंत्र के होने से चुनावी तानाशाही के हालात पैदा होते हैं। यदि आबादी का एक बड़ा अंश शासन संरचनाओं और सामाजिक न्याय व्यवस्था में विश्वास खो देता है तो एक नकारात्मक रूप से आलोचनावादी आबादी का जन्म होता है जो अपने व्यापक निराशावाद से विनाश करने की ताकत रखता है। यह रिपोर्ट न्याय व्यवस्था के विभिन्न कारकों के कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करता है और एक चेतावनी भरा संदेश प्रदान करता है

एम. एन. वेंकटचलिया भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

हमारा लोकतंत्र मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और वैधानिक अधिकार के आधार पर खड़ा है। न्याय व्यवस्था का प्रत्येक कार्य इन सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। पुलिस जिन समुदायों को सुरक्षा प्रदान करती है उनके साथ उसे बेहतर रूप से जुड़ा होना चाहिए; न्याय व्यवस्था को कमज़ोर नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इसकी प्रक्रियाएं ऐसी होनी चाहिए कि सभी नागरिक इस तक पहुंच प्राप्त कर सकें; कारागारों को कैदियों को केवल बंदी बनाकर रखने के बजाय उन्हें सुधारने का कार्य करना चाहिए; और कानूनी सहायता और सेवाएं बहुत ही आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय न्याय रिपोर्ट राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन तो देता है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह राज्य को अपना ही प्रतिस्पर्धी मानते हुए उसके नागरिकों को सर्वोत्तम न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है। न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। इसे युद्ध के तौर पर देखने की आवश्यकता है। नया वर्ष त्वरित और वास्तविक जीवन में उपयोगी समाधान पर ध्यान केंद्रित करने हेतु नए अवसरों प्रस्तुत कर रहा है; जिनका प्रयोग हम आने वाले वर्ष में कर सकते हैं।

जस्टिस (सेवानिवृत्त) मदन बी लोकुर



प्रस्तावना

धन संपत्ति अर्जन करना: नागरिकों को समृद्ध बनाना नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए, न्याय ही माध्यम है। कीर्ति नारायण! वे कहते हैं कि न्याय ही राजाओं का ख़जाना है।

बदेना 12वी - 13वी शताब्दी

द्वितीय भारतीय न्याय रिपोर्ट 2020, राज्यों द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रभावकारी न्याय प्रदान करने के लक्ष्य से अपनी संरचनाओं को सक्षम बनाने की क्षमता का आंकलन करता है। यह कोविड महामारी से पूर्व आंकड़ों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। यह न्याय व्यवस्था के चार उप-व्यवस्थाओं यानी कि पुलिस, न्यायपा-लिका, कानूनी सहायता और कारागारों के बजट, रिक्त पद, विविधता, कार्यभार और मूलभूत व्यवस्थाओं में हुए बदलावों को दर्ज करने सहित इन विषयों के संबंध में पच्चीस राज्यों के नए पदों का निर्धारण करता है। यह रिपोर्ट पिछले वर्ष के रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न राज्यों में पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए बदलावों के बीच तुलना करता है। इस प्रकार की तुलना से हर एक राज्य द्वारा अपनी न्याय व्यवस्था को सुधारने और उसमें बदलाव लाने के लिए उठाए गए क़दमों के प्रभावों का आंकलन किया जाना संभव होता है।

इस रिपोर्ट में पूर्व अठहत्तर संकेतकों के साथ-साथ दस नए संकेतक शामिल हैं। नए संकेतक इस प्रकार हैं: हर एक प्रशिक्षण संस्था में पुलिस कर्मचारियों की संख्या, कारागार में कार्यरत कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और कितने पैनल वकीलों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पहुंच और प्रसार को मापने के लिए, यह रिपोर्ट कारागारों द्वारा वीडियो कॉन्फेरेंसिंग की सुविधा प्रदान करने की क्षमता और नागरिक पोर्टलों की संपूर्णता और उन तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करता है। इन नागरिक पोर्टलों से अपेक्षित है कि ये नागरिकों को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीए-नएस) (CCTNS) के अंतर्गत आदेशित नौ मौलिक सेवाओं के आधार पर सार्वभौमिक जानकारी प्रदान करेंगे। विविधता संकेतक के साथ-साथ, यह रिपोर्ट पुलिस बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कोटे को पूरा करने के लिए भर्ती किए गए कांस्टेबलों की संख्या पर रोशनी डालकर सामाजिक विविधता को प्रस्तुत करता है।

हालांकि, यह सही है कि चाहे परिस्थिति सामान्य हो या असामान्य, न्याय प्रदान करना स्वास्थ्यवर्धक भोजन या सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन सरकार इसे एक ऐसी आवश्यक सेवा के रूप में नहीं देखती जिसे पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए। यही कारण है कि पिछले वर्षों की समस्याओं के स्तर में कुछ विशेष गिरावट नहीं आई है। बोर्ड के सभी उप-व्यवस्थाओं में रिक्त पद -- कभी-कभी 9 से 42 प्रतिशत तक बने हुए हैं। कारागारों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी अधिक चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में रिक्त पदों की स्थिति जो कि वर्ष 2016 से 6 प्रतिशत थी अब बढकर 41 प्रतिशत हो चुकी है। राज्य सरकारें कारागार क्षेत्र में उन्नति की ओर खर्च करने से कतरा रही हैं और ऐसे में, कारागारों का सुधारात्मक संस्था बनने का लक्ष्य पूरा होना असंभव है।

इसके चलते, कारागारों में कैदियों की संख्या अत्यधिक बढ गई है और इनमें से अनुपातहीन रूप से उच्च प्रतिशत (69 प्रतिशत) उन कैदियों का है जो न्याय व्यवस्था के जाल में फंसे हुए हैं और कानूनी कार्यवाही तथा मुकदमे के दर्द-भरी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। न्याया-लयों की बात करें तो मुकदमों के आने और साथ ही, न्यायधीशों के अभाव, ख़राब सहायक मूलभूत संरचनाएं और कम बजट के चलते मुकदमों के जमा होने की स्थिति पैदा हो गई है; पहले के मुकाबले दो वर्षों में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में क्रमश: 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत अधिक मुकदमें जमा हुए हैं। पुलिस आधुनिकीकरण निधि का संपूर्ण उपयोग नहीं होता। चूंकि, न्यायालय, पुलिस स्टेशन और कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए इन न्याय संस्थाओं तक पहुंच हासिल करना लगभग असंभव होता है। राष्ट्रीय स्तर पर, कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संरचनाएं 80 प्रतिशत आबादी को प्रतिनिधित्व समाधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं। यहां तक कि. विपत्ति के समय इन्हें हस्तक्षेप करने का आदेश दिया गया है। लेकिन, अक्षम और संसाधनों की कमी को झेलने वाली कानूनी संस्थाओं को अनियोजित और अनियमित रूप से कार्य करना पड़ता है। इस वजह से वे न्याय व्यवस्था पर बोझ को कम करने और तालुका स्तर पर ग़रीबों को न्याय प्रदान करने में सक्षम नहीं होतीं। इससे प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों का कानून पर विश्वास स्तर प्रभावित होगा।

ख़ुशी की बात यह है कि पैसा और जन-बल जैसी चुनौतियों के रहने के बावजूद विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में यहां-वहां सुधार देखने को मिल रहा है। व्याख्यात्मक रूप से, क्रम में बिठाए गए 25 राज्यों में से कुल मिलाकर 22 राज्यों में पुलिस की नौकरी में महिलाओं की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है, 18 राज्यों में कारागारों की स्थिति बेहतर हुई है और 20 राज्यों में अधीनस्थ न्यायाधीशों के संबंध में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उसी प्रकार, केरल और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कम से कम एक पद के संबंध में पांच-वर्ष के रिक्त पदों में औसतन गिरावट आई है। यहां तक कि किसी एक पहलु में हल्का-सा कोई सकारात्मक बदलाव होने से इसका प्रभाव दूसरे पहलुओं पर भी होता है, जिससे क्रम में जो राज्य नीचे हैं, वे ऊपर बेहतर स्थानों की ओर बढ़ जाते हैं। इससे हमें दूसरे राज्यों को बेहतर बनाने के तरीके पता लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे आम नागरिक को वास्तव में बेहतर सेवाएं मिलती हैं। (बॉक्स देखें)

18 बड़े और मध्य आकार के राज्यों में छत्तीसगढ़ दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए 8 स्थानों से ऊपर आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ष 2017 में उच्च न्यायालय ने अधिसूचना द्वारा आदेशित किया था कि अधीनस्थ न्यायालयों में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से विलंबित मुकदमों का निपटान जल्द-से-जल्द किया जाए। अधीनस्थ न्यायलयों में मुकदमों की निकासी दर में 100 प्रतिशत (2016-2017) से 101 प्रतिशत (2018-2019) तक का सुधार आया। किसी मुकदमे के अनिर्णीत रहने की अवधि 2 वर्ष है और जुलाई 2020 तक 5 वर्ष से पुराने मुकदमों में से केवल 4 प्रतिशत मुकदमों का निपटान बाकी रह गया था, जबकि वर्ष 2018 के अगस्त में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत था

विविधता

इन संस्थाओं में विविधता स्पष्टता से दर्शाता है कि किस प्रकार न्याय व्यवस्था समानता और अपक्षपाती व्यवहार प्रदान करने की ओर प्रतिबद्ध है। आदर्श रूप से, आधिकारिक आंकड़ों में हर एक संस्था के विभिन्न स्तरों में वर्तमान विविधता (जाति, जनजाति, भाषा, धर्म और लिंग) के विवरण दर्ज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्तमान में, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों में केवल जाति और महिलाओं की उपस्थिति के विवरण उपलब्ध हैं। यहां भी केवल निचले पदों के आंकडें

प्रस्तुत हैं और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जैसे ऊँचे पदों में कार्यरत व्यक्तियों के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। उसी प्रकार जाति संबंधी आंकड़ें सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त न किए जाने के कारण सभी राज्यों और उप-व्यवस्थाओं के बीच इनकी तुलना करना संभव नहीं। यहां तक कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) (NCRB) से प्राप्त होने वाले गिने-चुने आंकड़ों को भी वर्ष 2013 से समाप्त कर दिया गया। उपलब्ध आंकडों से पता चलता है कि सभी उप-व्यवस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है। फ़िर भी, न्याय व्यवस्था में लिंग समानता की महत्वकांक्षाओं को पूरा करने में अभी काफ़ी दूरी तय करना बाकी है। यह सच है कि संस्थाएं महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस बढ़ोतरी की रफ़्तार बहुत ही धीमी है। व्याख्यात्मक रूप से, कारागारों, पुलिस और न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी में केवल 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि निचले पदों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। ऊँचे पदों पर महिलाओं की भागीदारी निराशा-जनक है और इस कारण, पितृसत्ता और उसके हिंसात्मक प्रभावों को कम करने में अनगिनत चुनौतियाँ आ रही है।

आंकर्डे

आकड़ों, प्रोद्योगिकी और अति-महत्वपूर्ण सूचना का अधिकार अधिनि-यम, 2005 की उपलब्धता से आंकड़ों के आधार पर साक्ष्य और नीति निर्माण की प्रवृत्ति तीव्र और बढ़ती जा रही है।

इसके बावजूद आंकड़ों के आधार पर किए गए मापन न तो वास्तविक सुधार और न ही बेहतर प्रतिक्रिया या नागरिक संतुष्टि दर्शाता है। लेकिन, इससे वे क्षेत्र उजागर होते हैं जहां सुधार और उन्नति की आव-श्यकता है। आंकड़ों द्वारा आधी सच्चाई या कभी-कभी गुमराह करने वाली सामग्री सामने आती है। उदाहरण के तौर पर. उत्तर प्रदेश राज्य जहां वर्ष 2017 में कांस्टेबल पद के लिए 53 प्रतिशत और ऑफिसर पद के लिए 63 प्रतिशत रिक्त पद थे, वह पुलिस क्रम सूची में तीन स्थान आगे बढ़ गया है केवल इसलिए क्योंकि उस राज्य में बह्त सारे भर्ती अभियान हुए हैं जिनसे रिक्त पदों की पूर्ति हुई है। इससे पुलिस में कार्यरत ऑफिसरों और महिला कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

गणितीय मापन द्वारा हम कार्य-निष्पादन की बनावट, सहानुभूति, संस्कृति, दृष्टिकोण, पक्षपाती व्यवहार या आम नागरिक की धारणाएं निर्धारित नहीं कर सकते। संक्षिप्त में, इस प्रकार के गणितीय मापन द्वारा हमें स्पष्ट रूप से हड्डियों का ढांचा मात्र ही प्राप्त होता है और कोई मांस, रक्त, तंत्रिकाएं या यहां तक कि विद्युतीय/केमिकल सिग्नल



पहुंचाने वाले छोटे-छोटे न्यूरोन भी नहीं जिनसे हमारा पूरा शरीर बनता है। लेकिन, इन मापन द्वारा हम उन क्षेत्रों के बारे में अवगत होते हैं जहां सुधार और उन्नति की आवश्यकता है।

अलग-अलग आंकड़ों को एक साथ लाने के लिए, आईजेआर (IJR) कुछ अत्यावश्यक पूर्व-शर्तों का विश्लेषण पेश करता है जिससे यह स्निश्चित हो सके कि हर एक उप-व्यवस्था में आवश्यक कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के पास कार्य पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध हो। साथ ही, इस विश्लेषण से वे क्षेत्र भी सामने आते हैं जहां नीति निर्मा-ताओं द्वारा तुरंत हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। हालांकि, विभिन्न समय काल और प्रारूपों में सरकारी आंकड़ें प्राप्त

> भारतीय न्याय रिपोर्ट के लिए आंकड़ों की एकत्र करना और संकलन करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अभिलेखी समाग्रियों तक पहुंच बनाने में परेशानी, एनएएलएसए (NALSA) वेबसाइट और उसके डैशबोर्ड के आंकडों के बीच विसंगतियों और विभिन्न वर्षों की बीपीआरऐंडडी (BPR&D) रिपोर्ट श्रेणियों का मानकीकरण न होने की समस्या शामिल है। व्याख्यात्मक रूप से, पुलिस संस्थाओं पर वर्ष 2018 और 2019 के जनवरी महीने के आंकड़ों में इंस्पेक्टर और डेप्युटी सुपरिन्टेन्डेन्ट श्रेणी के कर्मचारियों की जाति संबंधी आंकडें उपस्थित नहीं हैं लेकिन वर्ष 2020 के सबसे हाल की रिपोर्ट में इन्हें फ़िर से शामिल किया गया है। चूंकि, पश्चिम बंगाल के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं इसलिए भारत के कारागार संबंधी आकड़ों की रिपोर्ट में दो वर्ष पुराने आंकड़ें शामिल करने पड़ रहे हैं। छपाई के लिए प्रेस में जाने से पहले अपडेट के लिए जो अनुरोध किए गए थे उन्हें अनसुना कर दिया गया। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न राज्यों की वास्तविक वर्तमान स्थितियों के बीच जिस सटीक तुलना की आवश्यकता है, वह संभव नहीं है।

करने का कार्य जारी है जिन्हें कड़े सत्यापन बिना संग्रहण केंद्रों में भेजा जाता है। ऐसे आंकड़ों की श्रेणी में अचानक बदलाव और इनके विवरणों का अचानक से लोप हो जाना संभव है। ऐसे आंकड़ों को अक्सर मशीन-द्वारा-न-पढ़े-जाने-वाले प्रारूपों में दर्ज किया जाता है, इन्हें विभागों में कैद रखा जाता है और कुछ मौक़ों पर ही नागरिकों के साथ साझा किया जाता है। अधूरे, विलंबित या विरोधात्मक आंकड़ें जो आर्थिक, भर्ती और योजना चक्र के अनुरूप नहीं हैं, वे उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग और सभी नागरिकों को सेवा प्रदान करने वाली नीति योजना पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे।

व्याख्यात्मक रूप से, वर्ष 2016 से पूर्व, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की 'भारत में अपराध' रिपोर्ट में कर्मचारियों के ख़िलाफ़ दर्ज विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों के विवरण (यह अलग बात है कि वे राष्ट्र में फैले मानवाधिकार आयोग जैसे संग्रह बिंदुओं के अनुसार नहीं होते थे) और मानवाधिकार हनन करने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ़ दर्ज मामलों की संख्या प्रस्तुत की जाती थी। इसमें विभिन्न प्रकार के मानवाधिकार हनन के वर्णन भी शामिल होते थे। वर्तमान में, ये आंकडें केवल राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ़ दर्ज शिकायतों के विवरण प्रस्तुत करते हैं।

इस महामारी ने न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी को जल्द शामिल करने की आवश्यकता को उजागर किया है। हालांकि, महामारी से पहले प्रोद्योगिकी प्रयोग करने के केवल कुछ ही मामलों की छान-बीन की गई है, लेकिन इस प्रकार प्रोद्योगिकी समाधान पर बढ़ते हुए विश्वास को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने वाले कारागारों की और राज्य पुलिस नागरिक पोर्टलों द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन सेवाओं की संख्या संकेतकों को शामिल किया गया है।

औसतन, आधे से भी कम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 90 प्रतिशत कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। बड़े और मध्य आकार के राज्यों में से पांच¹ में 50 प्रतिशत से भी कम कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा थी। आंकड़ों द्वारा इनके रखरखाव, प्रयोग की आवृत्ति या प्रसारण की गुणवत्ता का पता नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, रिमांड के लिए नित्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोग का उचित रूप से मूल्यांकन भी नहीं हो पाया है। यह निर्धारित नहीं हुआ है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे से पहले कारागारों में बंद व्यक्तियों की संख्या में या अवधि में वास्तव में कोई कमी आई है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बावजूद कारागार में बंद कैदी का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के अधिकार का हनन हो रहा है और वह निष्पक्ष मुकदमे के केवल सपने ही देखता है।

१ कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल

इसमें कोई शक नहीं कि प्रौद्योगिकी को शामिल करने की ओर सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे न्याय प्रदान करने में तेज़ी आएगी, लेकिन, यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग की जांच की जाए और पता लगाया जाए कि इसके प्रयोग से नागरिक और राज्य के बीच वर्तमान अधिकार संबंधी असंतुलन को बढ़ावा मिलता है या इससे नागरिक अधिकार और मज़बूत होता है। वर्तमान में, देशभर² में लगभग 4,00,000 सीसीटीवी लगे हुए हैं और इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक तेलंगाना राज्य में ही हैं। ये कैमरे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के बजाय निगरानी रखने और सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। हाल ही के परमवीर³ मामले में आए फ़ैसले के अनुसार सभी पुलिस स्टेशनों मैं सीसीटीवी कैमरों का होना अनिवार्य है। यह अधिकार संबंधी असंतुलन को ठीक करने और कानून के अनुसार पुलिस कार्य को प्रोत्साहन देने की ओर एक सकारात्मक कदम है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, हर एक राज्य को अपने नागरिकों को नौ मौलिक सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिक पोर्टल की सुविधा देनी चाहिए। इन सेवाओं में शिकायत दर्ज कराना, विभिन्न सत्यापन और अनापित प्रमाणपत्र प्राप्त करना शामिल है। नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने की इस पहल के बावजूद, कोई भी पोर्टल सभी नौ सेवाएं प्रदान नहीं करता; केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश ही ऐसे दो राज्य हैं जिन्हें इस विषय में 90 प्रतिशत से अधिक मिले हैं। बिहार राज्य अपने नागरिकों को पोर्टल सुविधा प्रदान नहीं करता।

भविष्य

आने वाले समय में न्याय व्यवस्था की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। कोविड के लंबे समय काल के चलते न्याय प्रदान करने के दायित्व को पूरा करने के लिए आंतिरक बदलावों के साथ-साथ सामाजिक चुनौतियों का सामना करने की भी आवश्यकता होगी। आय में असमानताओं के बढ़ने, दुर्लभ संसाधनों के लिए एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी बनने, सामाजिक सामंजस्य में टूट-फूट होने, नागिरक भागीदारी के लिए आवश्यक अवसर न मिलने, अलग-अलग समुदायों और राज्य के बीच अधिकार में असंतुलन होने और व्यक्तिगत निराशा से अनुकूलन, मुआवज़ा, बहाली और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और तेज़ प्रक्रियाओं की मांग और पैदा होगी। बेहतर निर्माण के लिए, पूरी व्यवस्था को नागरिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अभी नागरिकों को मौलिक मानवाधिकार और न्याय मिले। इसके साथ ही इस व्यवस्था की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिससे भारी विदारण के संदर्भ में निम्नलिखित संभव हो: सामाजिक सामंजस्य, राजनीतिक और सार्वजनिक नैतिकता और आर्थिक समानता। समानता, सहानुभूति और मानवतावाद के मूल रूपों को अपनाते हुए, वायरस के परिणामों का अनुमान लगाकर अभी इसी वक़्त कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्तियों, समुदायों और व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

समाधान

वित्तीय आपदा और प्रतिस्पर्धा के समय अपर्याप्त क्षमता और कार्य-प्रदर्शन, विलंबित मुकदमों का भार और बढ़ते संचित कार्य का भार संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन, न्याय व्यवस्था को ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए, पुरानी समस्याओं को दूर करना चाहिए और साहसिक नवीन प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। कम संसाधनों का प्रयोग कर अधिक कार्य करने के लिए निम्नलिखित करना होगा: स्थानीय उन्नति को प्राथमिकता देते हुए, उपलब्ध वित्त को न्याय के स्थानीयकरण की ओर पहुंचाना होगा ताकि संसाधन मुख्यालय के बजाय निचले न्या-यालयों , पुलिस स्टेशनों और तालुकाओं तथा कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के पास जाए; इन सभी स्तरों में रिक्त पदों को भरने के लिए उचित निवेश करें; मजिस्ट्रेट, कांस्टेबल, पैनल वकील, पैरालीगल और जेलरों जिनके पास अपराध की सूचना पहले पहुँचती है उन्हें नवीन कौशल प्रदान किये जाएं; यह सुनिश्चित किया जाए कि समय पर डेटा आसानी से उपलब्ध हो और इनके आधार पर ही भविष्य के समाधान तैयार किए जाए; प्रोद्योगिकी को शामिल किया जाए – इसका प्रयोग घटिया समाधान प्रदान करने के लिए केवल एक उत्पाद के रूप में न किया जाए बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशन और सेवा प्रदान करने के साधन के रूप में किया जाए; आंतरिक संस्कृतियों को अनुकूल बनाकर अपने प्रयासों और मज़बूत बनाकर मौलिक संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे भरोसेमंद मध्यस्थता और संघर्ष समाधान को बढावा मिलेगा; पैरालीगलों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी भूमिकाओं पर निगरानी रखना और नागरिकों के साथ

² बीपीआर&डी (BPR&D) (जनवरी 2020).

³ परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह [Slp (आपराधिक) संख्या: 3543 of 2020]. https://www.livelaw.in/top-stories/cctv-camera-every-police-station-supreme-court-directives-166709 पर उपलब्ध

⁴ इसमें पोर्टल के स्थानीय भाषा में उपलब्धता शामिल है



भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अवगत करा सके और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सके।

पुरानी निश्चितताओं के हट जाने से, आज निर्णय लेने से एक उज्जवल भविष्य की और बढ़ा जा सकता है। कानून को पिछले दिनों के परिणामों के नकारात्मक प्रभावों से बचाकर रखने के लिए कुशल और हर दिन आसान पहुंच वाला कानून प्राकृतिक आपदा के कारण विराम नहीं ले सकता बल्कि यह ऐसी आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को

कम करने में सहायक हो सकता है। हमें खुद को याद दिलाने की आवश्यकता है कि न्याय दिल से बसने वाला एक विश्वास है और इसे प्रदान करना नागरिक के प्रति कोई दया की भावना दर्शाना नहीं बल्कि यह हर नागरिक का अधिकार है – और इसे प्रदान करना हमारी न्याय व्यवस्था का प्रकट कर्तव्य है।

माजा दारूवाला

मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

न्याय व्यवस्था को आवश्यक सेवा के रूप में नामित करें और इसे अपराध के खिलाफ़ पहली प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम बनाएं, इसके विस्तार को बढ़ाएं और इसमें नवीन प्रक्रियाएं शामिल करें ताकि स्थानीय स्तर पर यह हर समय प्रभावी न्याय प्रदान कर सके। कोविड-19 महामारी ने इस ओर न्याय व्यवस्था के दायित्व और इसके ऐसे बनने की मांग को उजागर किया है।

एक लागत-लाभ विश्लेषण करें जो मानव संसाधनों की बढ़ती लागत की उच्च कार्यभार और अपर्याप्त श्रमशक्ति के कारण पंजीकृत अपराध, अव्यवस्था, कारावास और न्यायिक देरी को संबोधित करने में विफल रहने की आर्थिक कीमत को निर्धारित करता है। इस विश्लेषण पर आधारित, रिक्त पदों को तत्काल आधार पर भरें

रिक्तियों को भरने (और अन्यथा), यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति अनुसूचित जनजातियों, और धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कम समूहों का प्रतिनिधित्व यह आश्वासन देने के लिए बढ़ाया जाता है कि न्याय प्रणाली की स्थापना समाज की विविधता को दर्शाती है, जिसके लिए यह कार्य करता है।

भविष्य के लिए युक्तियाँ

भारतीय रिपोर्ट 2019 और 2020 में प्रस्तुत पुलिस, कारागार, कानूनी सहायता और न्याय व्यवस्था के आंकड़े दर्शाते हैं कि पूरे व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने की आवश्यक-ता है। आंकड़ों का विभाजन, मानव संसाधन, मूलभूत संरचना, कार्य-भार और विविधता ऐसे कमजोर क्षेत्रों का खुलासा करता है कि जहां दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले आसानी से त्वरित सुधार किया जा सकता है और इन सुधारों से दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार आएगा।

हम नीचे सात ऐसे बिदुएं प्रस्तुत करते हैं जो सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहन देते हुए हर एक राज्य को सुधार लाने के लिए रफ़्तार प्रदान करेंगे, इससे वे सूची में अपना स्थान ऊपर ले जा सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने राज्य के सभी नागरिकों को न्याय प्रदान कर सकेंगे। राज्यों द्वारा इस ओर किए गए प्रयासों को आईजे-आर 2020 (IJR 2020) में देखा जा सकता है।




न्यायिक सेवाएं की उपलब्धता बढ़ाएं अदालतों में बुनियादी ढांचा, पुलिस स्टेशन, कानूनी सहायता क्लीनिक तक पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि ग्रामीण और शहर की आबादी के बीच न्याय की पहुंच में वर्तमान असमानता को कम किया जा सके। उसमे समाविष्ट हैं, प्रशिक्षित वकील और अर्धन्यायिक अधिकारी, की उपलब्धता को प्राथमिकता देना।

न्याय प्रणाली के प्रत्येक खंड को बजटीय आबंटन सुनिश्चित करना (विशेषकर न्याय-पालिका और जेल) , लागत में वृद्धि के साथ, जो कि अन्यत्र वृद्धि के अनुपात में है और अन्य आबंटनों के विपरीत अनुपात में नहीं आते हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट है।

प्रत्येक स्तंभ की समीक्षा के लिए एक खुली व्यवस्था होनी चाहिए, आविधक आधार पर प्रदर्शन, ऐसे मुद्दों की पहचान करें जिनसे निपटा जाना चाहिए, एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं.विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों के साथ, योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करते हैं और पोर्ट करते हैं, नियमित रूप से उन गतिविधियों पर करते हैं जो यह करती है।

न्याय प्रणाली के माध्यम से सभी तरह की पारदर्शिता में सुधार, के प्रकाशन को सुनिश्चित करके सत्यापित, विच्छेदित, सटीक और समय पर डेटा जो मूल रूप से शासन भर में नीति और व्यवहार को सूचित करने के लिए उपयोगी है। शुरुआत में, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रत्येक कोग दृश्यता और पूर्ण अनुपालन के साथ सक्रिय प्रकटीकरण के दायित्व के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत शुरू हो सकता है।

उस आवधिक अनुभवजन्य को अनुसंधान, सुनिश्चित करें जिसे सरकार द्वारा अनु-मोदित किया जाता है, एक स्वतंत्र तरीके से, भारत के न्यायिक प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए, ताकि नीति बनाने के लिए एक बेहतर सूचित और सबूत-आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।



नोट: परिकलित आधार जनसंख्या आकार (18) बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की आबादी 10) मिलियन से ऊपर है, और 10) मिलियन से नीचे सात छोटे राज्य हैं)।



कैसे प्रत्येक राज्य ने न्याय के 4 स्तंभों भर में रन बनाए

तालिका 1: रैंक और स्कोर राज्यों बड़े और मध्यम आकार के लिए

				■ रैंक 1-6	रेंव	₹ 7-12	ैं रेंक 13 -	-18				
				Police	Prisons	Judiciary	Legal aid					
	समग्र रैंक आईजेआर	(18 में से) आईजेआर		आईजेअ	गर (IJR) 20)20 स्तंभ रैंव	र (18 में से)	3	आईजेआर (1	JR) 2020 र	कोर (10 में	से)
	अड्जिअर 2020	आइजआर 2019		पुलिस	जेल	न्यायपालिका	कानूनीसहायता	समग्र	पुलिस	जेल न	यायपालिका व	गनू नीसहायता
महाराष्ट्र	1	1	\leftrightarrow	13	4	5	1	5.77	4.62	5.45	6.40	6.90
तमिलनाडु	2	3	个	5	6	1	11	5.73	5.40	5.28	7.22	5.22
तेलंगाना	3	11	1	10	2	6	6	5.64	4.89	5.69	6.14	5.93
पंजाब	4	4	\leftrightarrow	12	13	2	3	5.41	4.72	4.20	6.78	6.35
केरल	5	2	\downarrow	14	5	3	7	5.36	3.89	5.45	6.68	5.84
गुजरात	6	8	1	8	10	8	9	5.17	5.14	4.63	5.56	5.39
छत्तीसगढ़	7	10	↑	2	11	4	15	5.13	5.63	4.58	6.56	4.11
झारखंड	8	16	1	6	15	9	4	5.12	5.36	3.90	5.30	6.18
हरयाणा	9	5	\downarrow	9	16	7	5	4.94	4.99	3.39	5.82	6.07
राजस्थान	10	14	1	16	1	10	13	4.93	3.75	6.32	5.27	4.71
ओडिशा	11	7	\downarrow	3	9	15	8	4.90	5.59	4.67	3.91	5.64
आंध्र प्रदेश	12	13	1	4	7	14	14	4.81	5.43	5.25	4.28	4.37
बिहार	13	17	1	11	3	18	2	4.65	4.73	5.67	2.66	6.57
कर्नाटक	14	6	\downarrow	1	14	12	16	4.59	5.71	4.02	4.75	4.08
उत्तराखंड	15	15	\leftrightarrow	7	18	13	10	4.48	5.30	3.14	4.61	5.25
मध्य प्रदेश	16	9	lack	18	8	11	12	4.39	3.17	4.78	5.05	4.86
पश्चिम बंगाल	17	12	\downarrow	17	12	16	17	3.89	3.75	4.58	3.69	3.63
उत्तर प्रदेश	18	18	\leftrightarrow	15	17	17	18	3.15	3.80	3.24	3.16	2.54

राज्य क्लस्टर में समग्र रैंक के घटते क्रम में व्यवस्थित

तालिका 2 : रैंक और स्कोर छोटे राज्यों के लिए

	रैंक 1 से 3		रैंक 4 से 5	5	रैंक 6	से 7								
	समग्र रैंक (7) में से)) आर (IJR)	2020 स्तंभ रै	रंक (7 में से))	आईजेआर (IJR) 2020 स्कोर (7) में से)					
	आईजेआर 2020	आईजेआर 2019		पुलिस	जेल	न्यायपालिका	कानूनीसहायत	п	समग्र	पुलिस	जेल न्य	ायपालिका क	गनूनीसहायता	
त्रिपुरा	1	7	1	5	2	6	2		4.57	3.95	4.80	4.80	4.82	
सिक्किम	2	2	\leftrightarrow	1	6	1	3		4.48	4.89	3.45	5.84	4.10	
गोवा	3	1	lacksquare	7	4	4	1		4.42	3.90	3.76	4.92	5.30	
हिमाचल प्रदेश	4	3	\downarrow	2	1	2	6		4.37	4.51	5.10	5.14	3.07	
अरुणाचल प्रदेश	5	6	1	4	3	5	7		4.04	3.96	4.79	4.80	2.92	
मिजोरम	6	4	$\mathbf{\downarrow}$	6	7	3	4		3.88	3.92	2.94	4.94	4.00	
मेघालय	7	5	4	3	5	7	5		3.11	4.03	3.47	2.15	3.13	

राज्य क्लस्टर में समग्र रैंक के घटते क्रम में व्यवस्थित

नोट: पठनीयता के कारणों के लिए, रकोर 2 दशमलव अप करने के लिए दिखाया गया है। 2 या अधिक राज्यों तालिका में एक ही रकोर दिखा सकते हैं, वहीं एक तिहाई दशमलव पर अन्य ऊपर स्थान दिया गया है। यह निम्नलिखित मामलों में होता है:


1.पुलिस: पश्चिम बंगाल से आगे राजस्थान (3.753 बनाम 3.748)

2.जेल: पश्चिम बंगाल से आगे छत्तीसगढ़ (4.584 बनाम 4.576), केरल से आगे महाराष्ट्र (5.451 बनाम 5.446)

3. न्यायपालिका: त्रिपुरा से आगे अरुणाचल प्रदेश (4.801 बनाम 4.796)


आकृति 1: आईजेआर 2019 की तुलना में आईजेआर 2020 में सुधार उपलब्धि

दोनों वर्षों में सामान्य 53 गैर-प्रवृत्ति संकेतकों में, कितने राज्यों में आईजेआर 2019 की तुलना में आईजेआर 2020 में सुधार हुआ



कार्यप्रणाली: संकेतकों की गिनती जिसमे राज्यों ने आईजेआर 2019 की तुलना में सुधर किया। उन्ही संकेतकों को लिया गया है जो आईजेआर 2019 और आईजेआर 2020 में समान है। जिन संकेतकों में मानदण्ड उपलब्ध है और राज्य उन मानदण्डों से मिलता है तो उसे सुधार माना गया है और अगर उसका मूल्य मानदण्ड के भीतर है तो उसे भी सुधार माना गया है। अगर राज्य मानदण्ड से नहीं मिलता है लेकिन उसके मूल्य में सुधार हुआ है, तो उसे भी सुधार माना गया है। जहाँ संकेतक का मूल्य एक या दोनों वर्षो में उपलब्ध नहीं है उनको नहीं लिया गया है।





नोट: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वर्ष 2019 में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इन राज्यों के 5-वर्ष के आंकड़ें अलग-से उपलब्ध नहीं थे।

मानव संसाधन की रैंकिंग (वर्गीकरण)*

*हमारे 18 संकेतकों पर पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता स्कोर/ गणना कैसे हैं? मुख्य रिपोर्ट के पृष्ठ 27 पर संकेतक सूचीबद्ध हैं।

नक्शा 5: बड़े और मध्यम आकार के राज्यों

आईजेआर	रैंक (18	में से)			
2020	2019		राज्य	स्को	र (10 में से)
1	2	↑	महाराष्ट्र		7.04
2	4	↑	तमिलनाडु		6.26
3	1	lack	केरल		6.17
4	3	lack lack lack	ओडिशा		6.07
5	12	1	तेलंगाना		5.89
6	7	1 !	पंजाब		5.68
7	8	1	राजस्थान		5.34
8	10	1 3	गुजरात		5.32
9	5	4 1	मध्य प्रदेश		5.27
10	16	↑	झारखंड		4.94
11	6	lack	कर्नाटक		4.89
12	9	lack	हरयाणा		4.75
13	15	lack	उत्तराखंड		4.40
14	14	\leftrightarrow	छत्तीसगढ़		4.24
15	17	↑	बिहार		4.02
16	13	lack	आंध्र प्रदेश		3.85
17	11	lack lack	पश्चिम बंगाल		3.76
18	18	\leftrightarrow	उत्तर प्रदेश		3.43

नक्शा ६: छोटे राज्यों

	·
2020 2019 राज्य स्कोर (10 ⁱ	म से)
1	43
2 6 🕇 अरुणाचल प्रदेश	30
3 4 ↑ सिक्किम 3.7	79
4 5 ↑ त्रिपुरा 3.5	57
5 3 ↓	27
6 7 ↑ मिजोरम 3.0	30
 7 2 ↓ गोवा 3.0 	30

13

16

18

15

10

12



आकृति 2: रिक्त पदों के संबंध में राज्यों का हाल है?

आईजेआर 2020 (IJR 2020) में 4 स्तंभों के आधार पर 8 प्रमुख कर्मचारी रिक्त पदों को ध्यान में लिया है। सभी आकारों के विभिन्न राज्यों में 25% से अधिक रिक्त पद हैं जो राज्य की अपनी स्वीकृत शक्ति के अधिक है। यह चार्ट सभी चार स्तंभों में रिक्त पदों को दर्शाता है और आईजेआर 2019 (IJR 2019) के संदर्भ में राज्यों में सुधार को वर्णित करता है – सुधार हुआ है, स्थिति बदतर हुई है, या कोई बदलाव नहीं हुआ है।

रिक्त पद	पुरि	लेस	जे	ल	=	यायपालि	का	कानूनीसहायता	3	भाईजे	आर	2019	की	तुलन	ा में ब	दलाव
10% से नीचे 11% - 20% 21% - 40% 40% से ऊपर	कांस्टेबल	अधिकारी	अधिकारी	कैडर स्टाफ	उच्च न्यायालय न्यायाधीश	अधीनस्थ न्यायाल- यों न्यायाधीश	उच्च न्यायालय कर्मचारी	जि.वि.से.प्रा. सचिव				• स् • गि	ोराव	दलाव र	नहीं	
बड़े और मध्यम आकार के राज्यों	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	18	12	33	24	70	5	56	8		•	•	•	•	•	•	
बिहार	27	49	66	36	45	35	26	О		•	•	•	•	•	•	
छत्तीसगढ़	18	23	68	20	31	14	40	48	•	•	•	•	•	•	•	•
गुजरात	21	23	42	25	47	24	22	24		•	•	•	•	•	•	
हरयाणा	28	23	41	28	39	25	20	36		•	•	•	•	•	•	
झारखंड	22	25	65	64	26	32	19	0		•	•	•	•	•	•	•
कर्नाटक	15	19	8	30	50	16	14	0		•	•	•	•	•	•	•
केरल	7	18	9	30	23	13	7	O		•	•	•	•	•	•	
मध्य प्रदेश	19	49	36	10	35	26	12	2		•	•	•	•	•	•	
महाराष्ट्र	9	22	27	7	26	2	12	0		•	•	•	•	•	•	•
ओडिशा	6	29	45	9	46	20	31	О		•	•	•	•	•	•	•
पंजाब	7	19	41	29	39	19	20	5		•	•	•	•	•	•	
राजस्थान	10	37	40	17	46	16	32	3		•	•	•	•	•	•	
तमिलनाडु	9	15	9	13	18	22	35	О		•	•	•	•	•	•	
तेलंगाना	40	14	1	16	46	16	-9	18		•	•	•	•	•	•	
उत्तर प्रदेश	24	40	43	53	38	38	21	O		•	•	•	•	•	•	
उत्तराखंड	3	9	75	32	25	21	32	О		•	•	•	•	•	•	
पश्चिम बंगाल	40	28	14	28	48	7	40	9		•	•	•	•	•	•	
छोटे राज्यों																
अरुणाचल प्रदेश	22	33	38	2	24	23	7	100		•	•	•	•	•	•	
गोवा	4	31	15	24	26	18	12	О		•	•	•	•	•	•	
हिमाचल प्रदेश	5	14	21	12	38	8	9	О	•	•		•		•	•	
मेघालय	12	9	16	21	44	60	16	55		•		•	•	•	•	
मिजोरम	30	18	43	27	24	28	7	100			•			•	•	
सिक्किम	16	-22	31	56	8	17	11	100	•	•	•	•	•	•	•	
त्रिपुरा	21	36	33	38	25	30	22	25						•		

डेटा दिनांक जनवरी 2020 (पुलिस), दिसम्बर 2019 (जेलें), 2018-19 (न्यायपालिका) और 31 मार्च, 2020 (विधिक सहायता) स्त्रोत: पुलिस अनुसंथान एवं विकास ब्यूरो, जेल सांख्यिकी भारत, कोर्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण

विविधता का रैंकिंग (वर्गीकरण)* 12 11 15 18 10 *पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, 13 विविधता संकेतक पर कैसे स्कोर/ 13 गणना करते हैं? संकेतक पृष्ठ के 27 पर मुख्य रिपोर्ट सूचीबद्ध है। 17 16 नक्शा ७: बड़े और मध्यम आकार के राज्यों 8 आईजेआर रैंक (18) में से) 9 2020 2019 राज्य स्कोर (10 में से) 2 7.07 कर्नाटक 2 3 6.13 केरल 3 5 ओडिशा 6.02 6 5.83 आंध्र प्रदेश 5.75 13 छत्तीसगढ 8 5.41 गुजरात 7 तमिलनाडु 5.15 4 8 महाराष्ट्र 5.07 9 11 तेलंगाना 4.50 10 17 बिहार 4.42 11 14 4.28 हरयाणा 12 10 पंजाब 4.03 13 15 झारखंड 3.97 7 3.88 14 उत्तराखंड 15 16 राजस्थान 3.83 9 पश्चिम बंगाल 16 3.53 12 मध्य प्रदेश 3.07 17 उत्तर प्रदेश 18 18 2.88 नक्शा ८: छोटे राज्यों आईजेआर रैंक (7) में से) 2020 2019 राज्य स्कोर (10 में से) 4.18 1 2 मिजोरम 2 1 4.03 सिक्किम 3 6 3.90 हिमाचल प्रदेश

4

5

6

7

3

5

4

7

गोवा

मेघालय

त्रिपुरा

अरुणाचल प्रदेश

3.58

3.41

3.28

3.25



आकृति 3: महिलाओं की प्रतिनिधित्वता के संबंध में राज्यों का हाल है?


आईजेआर 2020 एंव आईजेआर 2019 के बीच, हर स्तम्भ में महिलाओं की प्रतिनिधित्वता में सुधार पाया गया। हालांकि यह सुधार अधीनस्थ स्टाफ पे केंद्रित था.

महिला न्यायाधीशों की भागीदारी (प्रतिशत में)	पुलिर	ū	जेल	न्यायप	ilaani	कानूनीर	परायता	आईजेः	थार १	·∩10	की व	लना	में तट	:लात
33% से ऊपर	31414	••	olei	9191		471 711	1171-191	311201.			_	ÇI II	1 40	(CII)
20% - 33%				पुद	ायाल ग	<u>=</u>				• सुध • गिर				
10% - 20%	EJA	듄		ग यात गिश	ख न्य याधीश	मधिव	गल युर					गाव नह	ीं	
10% से नीचे	कुल स्टाफ	अधिकारी	कुल स्टाफ	उच्च न्या यालय न्यायाधीश	अधीनस्थ न्यायाल- यों न्यायाधीश	पैनल अधिवक्ता	पैरा लीगल बॉलन्टियर							
								_	_	_		_	_	_
बड़े और मध्यम आकार के राज्यों	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	5.8	5.2	7.8	19.0	43.6	16.4	39.1							
बिहार	25.3	6.1	19.0	0.0	14.5	19.6	23.8							
छत्तीसगढ़	7.1	9.0	10.8	14.3	37.4	14.0	26.1		•	•		•		
गुजरात	11.7	9.0	6.2	14.8	16.8	21.9	37.3		•	•	•	•	•	
हरयाणा	8.3	9.9	6.1	18.2	34.6	19.7	41.4		•	•	•	•	•	
झारखंड	7.1	3.4	10.5	5.9	12.1	13.0	26.5		•	•	•	•	•	
कर्नाटक	8.3	6.9	26.2	10.9	30.7	28.3	48.4		•	•	•	•		•
केरल	7.2	2.4	15.0	13.5	37.9	40.4	65.7		•	•		•	•	•
मध्य प्रदेश	6.0	10.6	18.7	9.7	27.2	8.9	41.0		•	•	•	•	•	•
महाराष्ट्र	12.5	5.1	15.0	13.4	28.4	27.0	47.5		•	•	•	•	•	•
ओडिशा	10.0	11.2	12.3	6.3	40.2	13.7	46.7		•	•	•	•	•	•
पंजाब	8.5	5.8	6.8	18.2	40.9	15.6	31.0		•	•	•	•	•	•
राजस्थान	9.8	5.9	19.8	8.0	34.5	8.1	22.5		•	•	•	•	•	
तमिलनाडु	18.5	24.8	12.5	16.7	36.8	14.6	25.5		•			•	•	
तेलंगाना	5.1	3.9	6.5	7.1	46.2	19.4	24.6		•	•		•	•	
उत्तर प्रदेश	9.6	3.8	6.0	5.1	25.2	7.2	22.1		•	•		•		
उत्तराखंड	12.2	18.4	3.3	0.0	37.3	16.4	42.9		•		•	•	•	•
पश्चिम बंगाल	9.7	4.6	8.6	13.2	36.4	18.8	18.0		•			•		
छोटे राज्यों														
अरुणाचल प्रदेश	8.7	5.6	17.8	4.8	NA	18.9	42.5		•				•	•
गोवा	10.6	13.4	1.6	13.4	72.0	48.1	72.5		•		•	•	•	
हिमाचल प्रदेश	19.2	4.9	9.0	11.1	29.1	20.3	25.0				•	•		
मेघालय	4.7	6.9	16.5	0.0	50.0	54.9	21.1							
मिजोरम	7.2	20.1	25.6	4.8	33.3	40.3	32.9					•	•	
सिक्किम	8.1	6.0	21.4	33.3	28.6	38.6	46.7			•				
त्रिपुरा	5.1	6.6	7.9	0.0	31.6	28.1	28.9		•		•	•	•	

डेटा दिनांक जनवरी 2020 (पुलिस), दिसम्बर 2019 (जेलें), 2018-19 (न्यायपालिका) और 31 मार्च, 2020 (विधिक सहायता) स्त्रोत: पुलिस अनुसंथान एवं विकास ब्यूरो, जेल सांख्यिकी भारत, न्याय विभाग (उच्च न्यायालय); विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (अधीनस्थ न्यायालयों) द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया गया, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण

आकृति 4: पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को 33% तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?


आईजेआर 2019 की तुलना में , 32 राज्यों एवं केंद्र प्रशक्षित देशो ने आईजेआर 2019 में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार किया है। यहाँ तक की औसत 5 वर्षों के औसत के आधार पर, महिलाओं को भागीदारी को ३३% तक पहुँचने में जो समय लगेगा उसमे भी 20 राज्यों और केंद्र प्रशक्षित ने सुधर किया है|





आकृति 5: भारतीय न्यायालयों में महिलाओं की हिस्सेदारी निराशाजनक

27 राज्यों में, अधीनस्थ न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, उच्च न्यायालयों में, इस बढ़ोतरी की रफ़्तार धीमी है और इस कारण, महिलाओं की हिस्सेदारी निराशाजनक बनी हुई है।



डेटा स्रोत: न्याय विभाग (उच्च न्यायालय); विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (अधीनस्थ न्यायालयों) द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किया गया नोट: 1. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित समूह के अंदर वर्णमाला क्रम में बिठाया गया है। 2. नवेंबर 2019 तक अधीनस्थ न्यायालयों के आंकड़ें और अगस्त 2020 तक उच्च न्यायालयों के आंकड़ें। 3. जुलाई 2017 में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए और उच्च न्यायालयों के लिए जुन 2018 में बदलाव। 4. एक ही उच्च न्यायालय साझा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समान मुल्य दिए गए हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं: असम, अरुणाचल प्रदेश मिज़ोरम और नागालैंड हैं; केरल और लक्षद्वीप; महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव; पंजाब, हरियांणा और चंडीगढ़; तमिलनाडु और पुड्चेरी; पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

आकृति ६: न्याय व्यवस्था के लिए बजट

जैसा कि आईजेआर 2019 (IJR 2019) में वर्णित है, अधिकतम राज्यों में, न्याय व्यवस्था के आधार स्तंभों पर हुए खर्च संपूर्ण राज्य व्यय की बढ़ोतरी के समान नहीं। उदाहरण के तौर पर, बिहार की पुलिस के 5 वर्षों के औसत व्यय में 11.93% की वृद्धि हुई जबकि राज्य के संपूर्ण व्यय में 15.56% की वृद्धि हुई - जो -3.63 प्रतिशत अंक का अंतर है| निम्न ग्राफ़िक में आवंटन में उच्च वृद्धि की दर को बैंगनी रंग में प्रदर्शित किया है - छायांकित डिब्बे आईजेआर 2020 डेटा के लिये और ऊपर की ओर तीर आईजेंआर 2019 डेटा के लिए

🔳 कुल राज्य व्यय में बढ़ोतरी की तुलना में न्याय व्यवस्था के आधार स्तंभों पर खर्च में बढ़ोतरी हुई

		त अंतर: आधार स्तंभ बन त अंक, वित्तीय वर्ष '14 -'		आईजेआ र	JR 2019) में दन	
बड़े और मध्यम आकार के राज्यों	पुलिस	जेल	न्यायपालिका	पुलिस	जेल	न्यायपालिका
बिहार	-3.63	2.23	-6.54	1	1	\downarrow
छत्तीसगढ़	-1.79	-1.68	-0.30	1	1	1
गुजरात	1.53	-2.43	3.96	1	\downarrow	1
हरयाणा	0.17	-1.12	-0.93	1	\downarrow	1
झारखंड	-4.75	0.83	-5.21	1	\downarrow	1
कर्नाटक	-1.94	-6.69	-4.91	1	\downarrow	1
केरल	-0.88	-5.73	0.94	1	1	1
मध्य प्रदेश	-2.60	-7.25	-4.62	1	1	1
महाराष्ट्र	-1.87	-2.05	-1.95	1	1	1
ओडिशा	-2.16	-6.05	-3.35	1	1	1
पंजाब	-1.33	-4.11	0.75	↑	1	1
राजस्थान	-4.47	-2.02	-4.71	1	1	\downarrow
तमिलनाडु	-0.45	1.45	0.51	1	1	\downarrow
उत्तर प्रदेश	-3.31	0.75	-3.75	1	1	1
उत्तराखंड	-0.32	-3.99	-4.26	1	1	\downarrow
पश्चिम बंगाल	-3.21	-6.15	-6.36	1	1	1

छोटे राज्यों	पुलिस	जेल	न्यायपालिका	पुलिस	जेल	न्यायपालिका
अरुणाचल प्रदेश	0.67	3.29	40.79	1	1	↑
गोवा	4.43	-22.24	-1.10	1	1	\downarrow
हिमाचल प्रदेश	1.72	3.15	-1.00	↑	\downarrow	\downarrow
मेघालय	2.44	2.2	32.04	1	1	↑
मिजोरम	-6.15	110.22	-0.08	1	1	\downarrow
सिक्किम	-0.98	-5.43	3.49	1	1	↑
त्रिपुरा	0.74	-9.96	20.34	1	\downarrow	\downarrow

आंकड़ों का स्रोत: भारतीय संघ और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा, नियंत्रक और लेखा परीक्षक भारत के जनरल; खुला बजट भार


नोट: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनके 5 वर्ष के आंकड़ें अलग से उपलब्ध नहीं थे




आकृति ७: राज्यों ने कानूनी सहायता क्षेत्र में अधिक खर्च किया

राज्य की कानूनी सहायता खर्च में केंद्र से (एनएएलएसए) (NALSA) के माध्यम से) प्राप्त और उसके अपने द्वारा प्रदान किए गया वित्त शामिल होता है। पिछले दो वर्षों में, 18 में से 14 बड़ें और मध्य आकार के राज्य और 7 में से 5 छोटे राज्यों ने अपने कानूनी सहायता खर्च में बढ़ोतरी की है।

विधिक सहायता व्यय में राज्य की हिस्सेदारी (%) 2017-18 2019-20






नोट: केरल के आंकड़ें आईजेआर 2019 (IJR 2019) से लिए गए हैं, क्योंकि इस राज्य ने एनएएलएसए (NALSA) के साथ अपने अद्यतन आंकड़ें साझा नहीं किए थे।

स्रोत: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण एनएएलएसए (NALSA)

नक्शा 9: कानूनी सेवाओं प्रदान करने वाले क्लिनिक सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार, लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है


पिछले दो वर्षों में, 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानूनी सेवाओं प्रदान करने वाले क्लिनिकों द्वारा सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार आया है। लेकिन, केवल ऐसे नौ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कानूनी सेंवा प्रदान करने वाले क्लिनिक औसतन, 10 से कम गावों को सेवा प्रदान करते हैं।





आकृति ८: ग्रामीण-शहरी विभाजन

कई राज्यों में, शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में स्थापित पुलिस स्टेशन कम औसतन आबादी की देखरेख करती है। हालांकि, केवल केरल राज्य को छोड़कर, लगभग सभी राज्यों में, ग्रामीण पुलिस स्टेशन शहरी पुलिस स्टेशनों के मुकाबले काफ़ी अधिक औसत क्षेत्र की देखरेख करती है।




स्त्रोतः पुलिस अनुसंथान एवं विकास ब्यूरो, जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय आयोग, जनगणना 2011 नोटः जनगणना 2011, अरुणाचल प्रदेश का शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का विभाजन नहीं दर्शाता

बड़े और मध्यम आकार के राज्यों

छोटे राज्यों

आकृति 9: निचले न्यायालय में लंबित मामलों की तुलना करना

24 राज्यों के क्रम में से 21 राज्यों में, 5 वर्ष से अधिक अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले मुकदमों में पिछले 2 वर्षों में कमी आई है। हालांकि, 8 राज्यों में, अभी भी 20% से अधिक ऐसे मुकदमे हैं। आईजेआर 2019 (IJR 2019) की तुलना में हरे और लाल ब्लॉक दर्शाते हैं कि किस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में 5 वर्षों से अधिक समय के लिए लंबित मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी या गिरावट आई है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल राज्य में पिछले 5 वर्षों में लंबित मुकदमों की हिस्सेदारी में लगभग 5% की वृद्धि आई है जिस कारण आंकडा 36.8% पर ठहरा है




नोट: अरुणाचल प्रदेश राज्य के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं डेटा स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड



आकृति 10: अभियोगाधीन कैदियों के हिस्सेदारी में बढ़ोतरी के साथ-साथ कारागारों में कैदियों की संख्या में भी बढ़ोतरी

25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जेल अध्यावास में बढ़ोतरी की है| इस बढ़ोतरी का एक कारण अभियोगाधीन कैदियों के हिस्सेदारी में बढ़ोतरी है। 36 में से 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अभियोगाधीन कैदियों की हिस्सेदारी 50% से ऊपर है।



आकृति 11: राज्य पुलिस नागरिक पोर्टल्स की स्थिति

भाषा और सेवाओं की उपलब्धता और संपूर्णता के विषय में अंक प्रदान करते समय, केवल पंजाब और हरियाणा ही ऐसे दो राज्य हैं जिन्हें 90 प्रतिशत अंक मिला। दूसरे राज्यों को 90 और 5 प्रतिशत के बीच अंक मिला। बिहार राज्य के पास पोर्टल नहीं है।

उपलब्ध आंशिक रूप से उपलब्ध उपलब्ध नहीं	पोर्टल की उपलब्धता	1. संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराना।	2. शिकायतों की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना।	3. एफ़आईआर (FIR) की प्रतियां (कॉपी) प्राप्त करना।	4. गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों/फ़रार अपरा- धियों के विवरण।	क्या यह दण्ड- प्रक्रिया-संहिता, 1973 की धारा ४१सी(C) के अनुसार है? (हां/नहीं)
अंडमान और निकोबार द्वीप	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	×
आंध्र प्रदेश	~	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	×
अरुणाचल प्रदेश	साइन अप करने में असमर्थ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	NA
असम	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	NA
बिहार	×	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	Available	आंशिक रूप से उपलब्ध	×
चंडीगढ़	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	NA
छत्तीसगढ़	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	×
दमन और दीव	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	NA
दादरा और नगर हवेली	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	NA
दिल्ली	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	×
गोवा	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	NA
गुजरात	✓	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध	×
हरयाणा	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	NA
हिमाचल प्रदेश	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	×
जम्मू और कश्मीर	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	×
झारखंड	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	NA
कर्नाटक	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	×
केरल	~	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	×
लक्षद्वीप	साइन अप करने में असमर्थ					
मध्य प्रदेश	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	×
महाराष्ट्र	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	Available	×
मणिपुर	साइन अप करने	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	NA
मेघालय	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	NA
मिजोरम	पोर्टल की उपलब्धता में अ	समर्थ				
नागालैंड	~	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	NA
ओडिशा	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	Available	×
पुडुचेरी	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	Available	×
पंजाब	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	Available	-
राजस्थान	साइन अप करने में असमर्थ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	NA
सिक्किम	साइन अप करने में असमर्थ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	NA
तमिलनाडु	✓	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	×
तेलंगाना	~	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	×
त्रिपुरा	साइन अप करने में असमर्थ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	NA
उत्तर प्रदेश	~	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	×
उत्तराखंड	साइन अप करने में असमर्थ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	NA
पश्चिम बंगाल	साइन अप करने में असमर्थ	उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	X

नोट: बिहार राज्य नागरिक पुलिस पोर्टल की सुविधा प्रदान नहीं करता। कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों के विवरण प्रदान नहीं करता जैसा कि आईपीसी (IPC) की धारा41सी(C) में उल्लिखित है।

⁻⁻ पंजाब राज्य की धारा 41सी(C) के साथ अनुरूपता की जांच नहीं की जा सकी

[्]धारा ४१ सी(C) के अनुसार नागरिकों को कुछ जानकारियां प्रदान की जानी चाहिए, इस प्रकार, यह धारा नागरिकों को गिरफ़्तारी संबंधी प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी बनने की ओर प्रोत्साहित करती है। दण्ड-प्रक्रिया-संहिता की धारा ४१ सी(C) विशेष रूप से तीन आवश्यकताएं निर्धारित करती है: १) राज्य सरकारों के लिए राज्य स्तर पर और हर एक ज़िले में पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) (PCR) की स्थापना करना अनिवार्य है; २) राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक ज़िला पीसीआर (PCR) के बाहर नोटिस बोर्ड निम्नलिखित जानकारी उल्लिखित करे: अ) गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और उनके पते और आ) जिन ऑफिसरों ने गिरफ़्तारी की उनके नाम और पद; और 3) राज्य पुलिस मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम को नियमित रूप से गिरफ़्तार हुए व्यक्तियों और जिस अपराध के लिए उनकी गिरफ़्तारी हुई है उसके विवरण प्राप्त करने चहिए, और एक डेटाबेस स्थापित कर आम नागरिकों को ये जानकारियां उपलब्ध करानी चाहिए।



आकृति 11: राज्य पुलिस नागरिक पोर्टल्स की स्थिति

उपलब्ध आंशिक रूप से उपलब्ध उपलब्ध नहीं	5. लापता / अपहृत व्यक्तियों का विवरण और गिरफ्तार, अज्ञात व्यक्तियों और शवों के साथ उनका मिलान	6. चोरी / बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण	7. विभिन्न एनओसी जारी करने / नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना	8. नौकर, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन का अनुरोध।	9. जानकारी साझा करने और आवश्यक फ़ॉर्म डाउनलोड करने के लिए नागरिकों को सक्षम करने के लिए पोर्टल
अंडमान और निकोबार द्वीप	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
आंध्र प्रदेश	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
अरुणाचल प्रदेश	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध
असम	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
बिहार	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
चंडीगढ़	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
छत्तीसगढ <u>़</u>	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
दमन और दीव	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
दादरा और नगर हवेली	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
दिल्ली	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
गोवा	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
गुजरात	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	उपलब्ध	Partially available	उपलब्ध
हरयाणा	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध
हिमाचल प्रदेश	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	Available
जम्मू और कश्मीर	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध
झारखंड	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध
कर्नाटक	Not available	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
केरल	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
लक्षद्वीप	साइन अप करने में असमर्थ				
मध्य प्रदेश	Partially available	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
महाराष्ट्र	Partially available	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
मणिपुर	Partially available	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध
मेघालय	Not Available	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
मिजोरम	पोर्टल की उपलब्धता में असमर्थ				
नागालैंड	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
ओडिशा	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध
पुडुचेरी	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
पंजाब	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
राजस्थान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध
सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध
तमिलनाडु	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
तेलंगाना	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध
उत्तर प्रदेश	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध
उत्तराखंड -	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	आंशिक रूप से उपलब्ध	आंशिक रूप से उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	आंशिक रूप से उपलब्ध

नोट: बिहार राज्य नागरिक पुलिस पोर्टल की सुविधा प्रदान नहीं करता।

कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों के विवरण प्रदान नहीं करता जैसा कि आईपीसी (IPC) की धारा41सी(C) में उल्लिखित है।

⁻⁻ पंजाब राज्य की धारा 41सी(C) के साथ अनुरूपता की जांच नहीं की जा सकी

धारा 41सी(C) के अनुसार नागरिकों को कुछ जानकारियां प्रदान की जानी चाहिए, इस प्रकार, यह धारा नागरिकों को गिरफ़्तारी संबंधी प्रक्रियाओं के प्रति उत्तरदायी बनने की ओर प्रोत्साहित करती है। दण्ड-प्र-क्या-संहिता की धारा 41 सी(C) विशेष रूप से तीन आवश्यकताएं निर्धारित करती हैं: 1) राज्य सरकारों के लिए राज्य स्तर पर और हर एक ज़िले में पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) (PCR) की स्थापना करना अनिवार्य हैं; 2) राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक ज़िला पीसीआर (PCR) के बाहर नोटिस बोर्ड निम्नलिखित जानकारी उल्लिखित करें: अ) गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और उनके पते और आ) जिन ऑफिसरों ने गिरफ़्तारी की उनके नाम और पद; और 3) राज्य पुलिस मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम को नियमित रूप से गिरफ़्तार हुए व्यक्तियों और जिस अपराध के लिए उनकी गिरफ़्तारी हुई है उसके विवरण प्राप्त करने चहिए, और एक डेटाबेस स्थापित कर आम नागरिंकों को ये जानकारियां उपलब्ध करानी चाहिए।

हमारे सहयोगियों के बारे में

सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (IDEAL) एक संगठन है, जो उपेक्षित और कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, मुख्य रूप से "न्याय तक पहुंच" के क्षेत्र में । फ्रीरियन विचार से प्रेरित, सी.एस. जे, भारत भर में आठ से अधिक राज्यों में सक्रिय रहा है, मानव अधिकारों के हस्तक्षेप का निर्माण करता है, कानून का उपयोग जमीनी हकीकत के साथ घनिष्ठ संबंध के माध्यम से एक प्रमुख रणनीति के रूप में करता है। केंद्रीय सीएसजे के प्रयास हैं। कानूनी सुधार और अनुसंधान में इसके संस्थागत हस्तक्षेप,जो महिलाओं और दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के अधिकारों से संबंधित व्यापक सरोकारों पर जमीनी स्तर की सक्रियता, कानून और नीति-निर्माण को जोड़ते हैं और सहानुभूतिपूर्वक पेश करते हैं।

कॉमन कॉज़ (COMMON CAUSE, सामान्य कारण) सार्वजनिक कारणों को पुरा करने के लिए समर्पित है, जो सार्वजनिक जीवन और संस्थानों की अखंडता में दढता के लिए समर्थन करता है। यह वकालत और लोकतांत्रिक हस्तक्षेपों के माध्यम से लोकतंत्र, सुशासन और सार्वजनिक नीति स्धारों को बढ़ावा देना चाहता है। कॉमन कॉज़ को विशेष रूप से उस अंतर के लिए जाना जाता है जो उसने बडी संख्या में जनहित याचिका,(पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ,पीआईएल) के माध्यम से किया है; हाल ही में पूरे दूरसंचार स्पेक्ट्रम को रद्द करने पर; मनमाने ढंग से आवंटित कोयला ब्लॉक को रद्द करना; और सर्वोच्च न्यायालय का किसी व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता देना।

दक्ष (DAKSH) बेंगलुरु में स्थित नागरिक समाज संस्था है जो डेटा साइंस, सार्वजनिक नीति और ऑपरेशंस रिसर्च के क्षेत्र में न्यायिक सुधारों पर काम कर करता है। 2014 में शुरू किए गए रूल ऑफ़ लॉ प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह संस्था न्याय व्यवस्था के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करती आ रही है।

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई) (CHRI) एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संस्था है, जो राष्ट्रमंडल के अंदर शोध, रणनीतिक वकालत और क्षमता निर्माण द्वारा मानव अधिकारों की वा-स्तविक उपयोगिता संभव बनाने का प्रयास करती है। सीएचआरआई (CHRI) ने न्याय (पुलिस और कारागार सुधार) और सूचना तक पहुंच के क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,

मीडिया अधिकार और वर्तमान काल में गुलामी के रूपों को हटाने के लिए कदम उठाती है। है। सीएचआरआई (CHRI) एक राष्ट्रमंडल मान्यता प्राप्त संस्था है और संयुक्त राष्ट्र ईसीओएसओसी (ECOSOC) द्वारा इसे विशेष परामर्शदात्री स्थिति प्राप्त है।

प्रयास १९९० में स्थापित सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के अंतर्गत सामाजिक कार्य प्रदर्शन परियोजना है। प्रयास, सेवा वितरण, नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन और कस्टोडियल / संस्थागत अधिकारों और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और समूहों के पुनर्वास के संबंध में नीति परिवर्तन पर केंद्रित है। उनका मिशन आपराधिक न्याय प्रणाली नीति और प्रक्रिया के पहलुओं की वर्तमान समझ के लिए ज्ञान और अंतर्दृष्टि का योगदान करना है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर और बहिष्कृत समुदायों, समूहों और व्यक्तियों के लिए विशिष्ट संदर्भ के साथ, जो आपराधिक, या यौन उद्देश्यों के लिए तस्करी के अधिक जोखिम में हैं।

विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एक स्वतंत्र प्रबुद्ध मंडल है जो बेहतर कानून बनाने के लिए कानूनी शोध कर रहा है, और जनता की भलाई के लिए शासन में सुधार कर रहा है। विधी भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ भी जुड़ती है, और अन्य लोगों के साथ भी सहयोग करती है। सार्वजनिक उपक्रमों और नागरिक समाज के सदस्यों के भीतर संबंधित हितधा-रकों, प्रभावी और प्रभावी कानूनों और नीतियों को सूचित करने के लिए। केंद्र भी कानूनी सुधार के रूप में स्वतंत्र रूप से शोध करता है, और स्वतंत्र रूप से प्रसार करता है, जो यह मानता है कि भारत का भविष्य महत्वपूर्ण है।

डेटा / डिजाइन भागीदार

हाउ इंडिया लिब्स, दिल्ली में स्थित एक कंपनी है जो सार्वजनिक डेटा, एनालिटिक्स और प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर डेटा उत्पाद और परामर्श समाधान का निर्माण करता है। इसका लक्ष्य कंपनियों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, शोधकर्ताओं सार्वजनिक आकडों को उपयोगी बनाना है ताकि वे निर्णय निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक कर सकें। यह डेटा-आधारित शोध रिपोर्ट डिज़ाइन करता है और ऑनलाइन डेटा विज्ञअलाइज़ेशन भी करता है



संकेतकों की सूची पूर्ववर्ती नक्शा पृष्ठ पर

प्रयोजन/ अभिप्राय का रैंकिंग

पुलिस

कुल पुलिस में महिलाएं (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '15-'19) कुल अधिकारियों में महिला अधिकारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '15-'19) कांस्टेबल रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '15-'19) अधिकारी रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '15-'19) व्यय में अंतर: पुलिस बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '14-'18)

जेल

अधिकारी रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '15-'19) कैडर स्टाफ रिक्ति (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '15-'19) जेल स्टाफ में महिलाओं का हिस्सेदारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '15-'19) क़ैदी प्रति जेल अधिकारी (%, कैलेंडर वर्ष '15-'19) क़ैदी प्रति कैडर स्टाफ (%, कैलेंडर वर्ष '15-'19) विचाराधीन बंदियों की हिस्सेदारी (प्रतिशत अंक, कैलेंडर वर्ष '15-'19) प्रति कैदी व्यय (%, वित्तीय वर्ष '16-'20) उपयोग किया गया जेल बजट (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '16-'20) व्यय में अंतर : जेल बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '14-'18)

न्यायपालिका

लंबित प्रकरण (प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश)(%, FY '15-'19) लंबित प्रकरण (प्रति अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश)(%, FY '15-'19) कुल लंबित प्रकरण (उच्च न्यायालय)(%, वित्तीय वर्ष '15-'19) कुल लंबित प्रकरण (अधीनस्थ न्यायालय)(%, वित्तीय वर्ष '15-'19) न्यायाधीश रिक्ति (उच्च न्यायालय)(प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '15-'19) न्यायाधीश रिक्ति (अधीनस्थ न्यायालय)(प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '15-'19) प्रकरण निपटान दर (उच्च न्यायालय)(प्रतिशत अंक, वित्त वर्ष '15-'19) प्रकरण निपटान दर (अधीनस्थ न्यायालय)(प्रतिशत अंक, वित्त वर्ष '15-'19) व्यय में अंतर : न्यायपालिका बनाम राज्य (प्रतिशत अंक, वित्तीय वर्ष '14-'18)

मानव संसाधन की रैंकिंग

पुलिस

कांस्टेबलों, रिक्ति (%, जनवरी 2020) अधिकारी, रिक्ति (%, जनवरी 2020) सिविल पुलिस में अधिकारी (%, जनवरी 2020)

जेल

अधिकारी, रिक्ति (%, दिसंबर 2019) कैडर स्टाफ रिक्ति (%, दिसंबर 2019)

करेक्शनल स्टाफ रिक्ति (%, दिसंबर 2019) चिकित्सा कर्मचारी, रिक्ति (%, दिसंबर 2019) चिकित्सा अधिकारी, रिक्ति (%, दिसंबर 2019) प्रशिक्षित कर्मचारी (%, दिसंबर 2019)

न्यायपालिका

जनसंख्या प्रति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (२०१८-१९) जनसंख्या प्रति अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश (२०१८-१९) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रिक्ति (%, 2018-19) अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश रिक्ति (%, 2018-19) उच्च न्यायालयों में कर्मचारी रिक्ति (%, 2018-19)

कानूनीसहायता

जि.वि.से.प्रा. में सचिव रिक्ति (%,मार्च 2020) पैरा लीगल वॉलंटियर प्रति लाख जनसंख्या (संख्या, मार्च 2020) जि.वि.से.प्रा. के स्वीकृत सचिव (%,मार्च 2020) प्रशिक्षित पैनल वकील (%, मार्च 2020)

विविधता का रैंकिंग (वर्गीकरण)*

पुलिस

पुलिस में महिलाओं का हिस्सेदारी (%, जनवरी 2020) अधिकारियों में महिलाओं का हिस्सेदारी (%, जनवरी 2020) अनु.जाति अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी 2020) अनु.जाति कांस्टेबल, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी 2020) अनु.जनजाति अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी 2020)

अनु.जनजाति कांस्टेबल, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी

अ.पि.व.अधिकारी, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी 2020) अ.पि.व.कांस्टेबल, आरक्षित अनुपात में वास्तविक (%, जनवरी 2020)

जेल

जेल स्टाफ में महिलाएं (%, दिसंबर 2019)

न्यायपालिका

महिला न्यायाधीश (उच्च न्यायालय) (%,अगस्त 2020) महिला न्यायाधीश (अधीनस्थ न्यायालय) (%,नवम्बर 2019)

कानूनीसहायता

महिला पैनल अधिवक्ता (%,मार्च 2020) महिला पैरा लीगल वॉलंटियर (%,मार्च 2020) भारतीय न्याय रिपोर्ट एक पथप्रवर्तक प्रयास है जो भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रयासों को संगठित करता है। यह 18 बड़े और मध्य आकार के राज्य और 7 छोटे राज्यों को उनके द्वारा न्याय प्रदान करने की क्षमता के अनुसार उन्हें क्रम में बिठाता है। यह बजट, मूलभूत संरचना, मानव संसाधन, विविधता और पुलिस, कारागार, न्याय व्यवस्था और हर राज्य में कानूनी सहायता प्रदान करने की क्षमता का आंकलन करने के लिए सरकारी आंकड़ों का प्रयोग कर अपने घोषित मानकों के खिलाफ़ इनकी तुलना करता है। यह एक अनोखा अध्ययन टाटा ट्रस्ट्स की एक पहल है जो सेंटर फ़ॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज़, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, हाउ इंडिया लिब्स, टीआईएसएस (TISS)-प्रयास और विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के साथ भागीदारी में अओजित की गई है।

अधिक जानकारी के लिए, पर जाएँ: https://www.tatatrusts.org/insights/ survey-reports/india-justice-report















Supported by

TATA TRUSTS